

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुदान किशन लाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 166/2025

निर्णय दिनांक 20/06/25

किशन लाल पुत्र मोहन लाल जाति स्वामी नियासी सेठवा तहसील राजमठ जिला चूरु

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा रामपुरा पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खाता संख्या 23 खसरा सं. 521/156 तादादी 1.9220 हैक्ट, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की वर्तमान राजस्व जमाबंदी में भूलवश प्रार्थी का नाम किशन लाल पुत्र मोहन लाल की जगह किरसन पुत्र मोहनदास दर्ज हो गया, जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र में सही नाम किशन लाल पुत्र मोहन लाल है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबंदी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा रामपुरा पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खाता संख्या 23 खसरा सं. 521/156 तादादी 1.9220 हैक्ट, में प्रार्थी का नाम किशन लाल पुत्र मोहन लाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम किशन लाल पुत्र मोहन लाल व किरसन पुत्र मोहनदास दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम किशन लाल पुत्र मोहन लाल पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम किशन लाल पुत्र मोहन लाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम किरसन पुत्र मोहनदास अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही रामपुरा पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खाता संख्या 23 खसरा सं. 521/156 तादादी 1.9220 हैक्ट, के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम किरसन पुत्र मोहनदास Delete कर इसके स्थान पर किशन लाल पुत्र मोहन लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलर है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/06/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)